

**श्री केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के  
लिनचोली तथा छानी कैम्प नामक स्थान में  
टेन्ट कम किचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु  
आवेदन पत्र**

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
रूद्रप्रयाग।

महोदय,

मैं/हम जनपद रूद्रप्रयाग के स्थायी निवासी हैं तथा दिनोंक 16-17 जून 2013 की दैवी आपदा से प्रभावित हुए हैं।

**अथवा**

मैं/हम उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों (रूद्रप्रयाग को छोड़कर) में पंजीकृत हैं तथा मुझे/हमें टेन्ट कम किचन सुविधा का अनुभव प्राप्त है।

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति संख्या 3339/यात्रा व्यवस्था/विज्ञप्ति/2015-16, दिनोंक 17-03-2015 के क्रम में मैं/हम प्रशासन द्वारा नियत स्थानों पर टेन्ट कम किचन सुविधा संचालित करने हेतु इच्छुक है। मेरे/हमारे द्वारा उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों/नियमों का भली भाँति अवलोकन कर लिया गया है। जिनसे मैं/हम पूर्णतः सहमत हैं।

हमें ज्ञात है कि उक्त सीजनल संचालन हेतु मिलने वाली अनुमति को प्रशासन द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

अतः आवेदन पत्र पर विचार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम व पता—

संलग्न किये जाने वाले अभिलेख का विवरण—

1. जनपद रूद्रप्रयाग के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
2. जनपद रूद्रप्रयाग के सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत 16-17 जून की आपदा प्रभावित का प्रमाण पत्र।
3. उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों के टूर आपरेटर्स/उद्यमियों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों के टूर आपरेटर्स/उद्यमियों द्वारा न्यूनतम 02 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. टूर आपरेटर्स/उद्यमी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली विस्तृत कार्य योजना।